

9

मध्यभारत शासन गजट, दिनांक 3 मार्च सन् 1955 ई. भाग 1

FOREST AND TRIBAL WELFARE DEPARTMENT GWALIOR
Notification

dated the 1 st March, 1955

No 1101/XF/03(54), Gwalior.

In exercise of the powers conferred by section 29 of the Madhya Bharat Forest Act, Samvat 2007, the Government is pleased hereby to declare such lands in the ex-Jagirdari and ex-Zamindari areas of Madhya Bharat, resumed under the Madhya Bharat Abolition of Jagirs Act, samvat 2008 and the Madhya Bharat Zamindari Abolition Act, samvat 2008, respectively, as have been recorded as forests in the last settlement in the area concerned and as are not included in the reserved forests, to be protected forests; provided that any existing rights of individuals, or communities in such lands shall not be abridged or affected pending the enquiry and record in accordance with the provisions of sub-section 3 of the said section.

मध्यभारत वन विधान, सवत् 2007 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन इस विज्ञप्ति द्वारा, मध्यभारत जागीर समाप्ति विधान; तथा मध्यभारत जमींदारी समाप्ति विधान, सवत् 2008 तथा मध्यभारत जमींदारी समाप्ति विधान, सवत् 2008 के अधीन पुनःगृहीत एवं जागीरदारी तथा जमींदारी क्षेत्रों की ऐसी भूमियों को जो कि विगत अन्तिम व्यवस्थापन में वन के रूप में लिखी गईं हो और जो कि सुरक्षित वनों में सम्मिलित न हों, रक्षित वन घोषित करना है, किन्तु व्यक्तियों या जातियों के ऐसी भूमियों में विद्यमान स्वस्थ, उक्त धारा की उपधारा (3) के आदेशों के अनुसरण में की जाने वाली जांच तथा लेखा के अपूर्ण रहने तक कम या प्रभावित न होंगे।

आज्ञा से,
एस.पी.मित्रा सेक्रेटरी

